रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2
संख्या-30/2015/1430/94-स्टा०नि०-2-2015-700(74)/2015
लखनऊ, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, और समय-समय पर संशोशित सरकारी अधिसूचना संख्या-एस०आर०976/दस-550-(51)-76 दिनांक 31 मार्च, 1976 द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण फीस की सारिणी का अधिक्रमण करके राज्यपाल, गजट में निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी प्रकाशित करते है जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी

इसमें दिये गये अपवादों और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत छूटों और कटौतियों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित फीस प्रभार्य होगी :-

अनुच्छेद 1			फीस (रूपये में)
		के रजिस्ट्रीकरण के लिए	
(1)		पुस्तिका संख्या 1 और 4 से संबंधित समस्त निर्वसीयती दस्तावेज, जिसके अन्तर्गत ऐसा बिक्री प्रमाण-पत्र भी है जो मूल रूप में पेश किया गया हो और जिसके लिये अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।	
	(क)	जहाँ मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त है।	दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु आगणित ऐसे प्रतिफल या मूल्य के दो प्रतिशत जो भी अधिक हो परन्तु न्यूनतम रूपया 100.00 और अधिकतम रूपया-20,000.00
	(ख)	जहाँ मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त न किया गया हो;	100.00

http://shasanadesh.up.nic.in

		स्पष्टीकरण- सभी प्रकार के दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु आगणित मूल्यांकन पर रजिस्ट्रीकरण फीस देय होगी।	
(2)		वसीयत	500.00
(3)	(क)	अटर्नी की विशेष शक्ति	250.00
	(ख)	अटर्नी की सामान्य शक्ति	500.00
	(ग)	दत्तक विलेख	500.00
(4)	जब मूलरूप में उसी समय रजिस्ट्रीकरण के लिये किसी दस्तावेज की वास्तविक प्रति या प्रतियां प्रस्तुत की जाए, यदि मूल दस्तावेज का भी रजिस्ट्रीकरण किया जाना हो जैसा कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 362 में उपबन्धित है।		ऐसी प्रत्येक प्रति के लिये एक सौ रूपये। **टिप्पणी-** अनुच्छेद-2 के अधीन कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी।
(5)	किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज में किसी गलत विवरण या लेखन भूल को ठीक करने वाला अनुपूरक दस्तावेज, जैसा कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 351 में उपबन्धित है।		मूल के विषय में वहीं फीस, अधिकतम 100.00 रूपये के अध्यधीन।
टिप्पणी- **(1)** दस्तावेज, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में दिये गये दो या अधिक वर्णनों में आता है, के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस, जब उसके लिये प्रभार्य फीस भिन्न-भिन्न है, ऐसी फीस में से अधिकतम फीस होगी। **(2)** इस अनुच्छेद के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, फीस, यदि 10.00 रूपये के गुणांक में नहीं है, इसे 10.00 रूपये के अगले गुणांक में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।			
अनुच्छेद-2 अनुच्छेद-1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के अतिरिक्त			
(क)	पुस्तिका 1, 3 या 4 में वर्णित किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि के लिए।		01.00 रूपया प्रति पृष्ठ दस्तावेजों के पृष्ठों के आधार पर 10.00 रूपये और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		कुल योग, यह अगले 10.00 रूपये के गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
(ख)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18-क के अधीन मूल के साथ प्रस्तुत किये गये किसी दस्तावेज की प्रति के मिलान के लिए या उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण मैनुअल, भाग-2 के नियम 362 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की द्वितीय प्रति मूल के साथ प्रस्तुत।	01.00 रूपया प्रति पृष्ठ दस्तावेजों के पृष्ठों के आधार पर 10.00 रूपये और कुल योग, यह अगले 10.00 रूपये के गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
	अनुच्छेद-3 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 33 के अधीन मुख्तारनामों के अधि-प्रमाणन के लिए-	100.00
	स्पष्टीकरण- **(1)** मुख्तारनामा के अधि-प्रमाणन के लिये एकल फीस उद्ग्रहीत की जायेगी चाहे उस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने ही हों, परन्तु यह कि वे सभी एक साथ निष्पादन के लिये उपस्थिति हों। जब वे इस प्रकार उपस्थित न हों तो एक बार और एक ही समय में उपस्थित होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिये पृथक फीस उद्ग्रहीत की जाएगी। (2) अधि-प्रमाणन के लिये प्रस्तुत किये गये मुख्तारनामा की द्वितीय या तृतीय प्रति को पृथक शक्ति के रूप में समझा जायेगा और उसके लिये पृथक अधि-प्रमाणन फीस ली जायेगी।	
	अनुच्छेद-4	
	अभिरक्षा-	
(क)	किसी जिला रजिस्ट्रार की लोहे की तिजोरी में किसी निर्वसीयती दस्तावेज	500.00

http://shasanadesh.up.nic.in

	की निरापद अभिरक्षा के लिये।	
(ख)	किसी ऐसे दस्तावेज के प्रत्याहरण के लिए।	500.00
(ग)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 42 के अधीन मुद्राबन्द लिफाफे को निक्षिप्त करने के लिए।	200.00
(घ)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 44 के अधीन मुद्राबन्द लिफाफे के प्रत्याहरण के लिए	200.00
(ड.)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 45 के अधीन निक्षिप्त किये गये किसी मुद्राबन्ध लिफाफे को खोले जाने के लिए।	200.00
	अनुच्छेद-5	
	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 19 के अधीन दस्तावेज का हिन्दी अनुवाद दाखिल करने के लिए।	100.00
	अनुच्छेद-6	
	रजिस्टीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 57 के उपबन्धों के अधीन बनाये गये अभिलेखों की तलाशी या निरीक्षण के लिये-	
(क)	एक वर्ष के अभिलेखों की तलाशी करने या निरीक्षण करने के लिए।	10.00
(ख)	एक ही आवेदन पत्र के अधीन एक से अधिक वर्षों के अभिलेखों की तलाशी करने या निरीक्षण करने के लिए।	किसी एक मामले में अधिकतम 100.00 रूपये के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष के लिए 10.00 रूपये।
स्पष्टीकरण- (1) किसी सद्भाविक सार्वजनिक प्रयोजन के लिये किसी सरकारी कार्यालय या न्यायालय के अध्यक्ष के आवेदन-पत्र पर, की गयी तलाशी या किया गया निरीक्षण, रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 348 में विहित शर्तो के अध्यधीन नि:शुल्क		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगा।		
(2) एक डिक्री के संबंध में एक तलाशी के लिए केवल एक ही फीस ली जायेगी भले ही तलाशी लिये जाने के लिए निर्णीत ऋणी और संपत्तियों की संख्या कितनी ही हो।		
(3) जब कोई आवेदक अन्य आवेदकों को अधिमान देने के लिए किसी तलाशी प्रमाण-पत्र की अपेक्षा करता है, जिसके लिए साधारण तलाशी फीस का भुगतान किया गया हो, ऐसे प्रमाण-पत्र, फीस भुगतान के 02 दिनों के भीतर 50.00 रूपये के अतिरिक्त भुगतान पर जारी किया जायेगा।		
	अनुच्छेद-7	
	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राईवेट निवास गृहों या जेल में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा हाजिर होने या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन निकालने के लिये।	
(क)	जब वह व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जानी है, जेल में हो।	500.00
(ख)	जब उस व्यक्ति को जिसकी परीक्षा की जानी है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन स्वयं उपस्थित से छूट दी गयी हो।	500.00
(ग)	समस्त अन्य मामलों में।	5000.00
	अनुच्छेद-8	
	जब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 36 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी या न्यायालय को सम्मन जारी करने के लिए कोई आवेदन पत्र दिया जाये तब ऐसे अधिकारी या न्यायालय द्वारा किसी सम्मन के जारी और तामील होने पर सामान्य रूप से देय आदेशिका फीस।	100.00

http://shasanadesh.up.nic.in

	टिप्पणी- यह फीस उस व्यक्ति से वसूल की जायेगी जिसकी प्रेरणा पर आवेदन पत्र दिया जाये।	
	अनुच्छेद-9	
	पुस्तिका संख्या- 1, 3 या 4 से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, पुस्तिका 2 की प्रविष्टि, फाइल बुक के पत्रादि (नक्शा या प्लान को छोड़कर), अन्य पुस्तकों की प्रविष्टि और अनुक्रमणिकाओं (नक्शा या प्लान को छोड़कर), अभिसाक्ष्य विवरण आदेश या अन्य प्रकीर्ण पत्रादि के लिये जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों-	01.00 रूपया प्रति पृष्ठ दस्तावेजों के पृष्ठों के आधार पर 10.00 रूपये और कुल योग, यह अगले 10.00 रूपये के गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
	टिप्पणी- यदि कोई आवेदक, उन अन्य आवेदन-पत्रों की, जिनके लिये प्रतिलिपि तैयार करने की साधारण फीस दी गई है, वरीयता में प्रति लेने की अपेक्षा करे तो उससे इस अनुच्छेद के अधीन दी गयी साधारण फीस के अतिरिक्त 100 रूपये की फीस ली जायेगी।	
	अनुच्छेद-10	
	किसी ऐसे अदावाकृत दस्तावेज को वापस या अभ्यर्पित करने के लिए जिसे रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 196 के अधीन उप रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में अदावाकृत दस्तावेज के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो।	प्रत्येक माह के लिए 50.00 रूपये या उसके भाग जिसके दौरान दस्तावेज अदावाकृत रहे, अधिकतम 200.00 रूपये के अध्यधीन।
	अनुच्छेद-11	
	प्रकीर्ण फीस- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के किसी	रूपये 100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

	उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही/अनुतोष के संबंध में प्रस्तुत आवेदन-पत्र अथवा इस तालिका में उपरिवर्णित उल्लिखित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु।	
अपवाद **(1)** सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो सिविल या सैनिक सेवायोजन में हो, अपने उपयोग के लिये निवास गृह के निर्माण या क्रय के प्रयोजनार्थ सरकार से प्राप्त किसी अग्रिम के प्रति समुदाय को सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित बन्धक विलेख पर कोई फीस उदग्रहणीय न होगी। इसी प्रकार अग्रिम का प्रतिसंदाय हो जाने पर, यदि उधार लेने वाला व्यक्ति प्रति हस्तांतरण के लिखित हो, जो सरकार द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित हो चाहे तो कोई फीस नहीं ली जायेगी। **(2)** डिस्प्लेस्ड परसन्स (कम्पेनसेशन एण्ड रिहबिलिटेशन) रूल्स, 1955 के उपबन्धों के अधीन निष्पादित किये जाने वाले सार्वजनिक नीलाम से भिन्न संपत्ति के अन्तरण से संबंधित दस्तावेजों पर स्थापित व्यक्तियों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जायेगी।		

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-30/2015/1430/94/स्टा०नि०-2-2015-700(74)/2015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 08-12-2015 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-30/2015/1430/94/स्टा०नि०-2-2015-700(74)/2015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव आवास उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।

9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।

10- शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

11- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

12- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in